न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
गीता कुमारी पुत्री मीठ उर्फ मीठालाल जाति ढोली निवासी बासौर तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. पुष्पेन्द्र पुत्र मीठु उर्फ मीठालाल जाति ढोली निवासी बासौर तहसील मारवाड़ जंक्शन 2.. छगनी उर्फ सुगन कंवर पुत्री मीठु उर्फ मीठालाल जाति ढोली निवासी बासौर तहसील मारवाड़ जंक्शन 3. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर)) मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मुकेश आर्य, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना , सरकारी पैरोकार,

–: निर्णय :–

दिनांक : 19-7-2023

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम बाणियामाली तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 190 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 12.05.2009 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार को सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बाणियामाली के खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.2529 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 35 की भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के पिता मीठालाल पुत्र संग्राम की कब्जासुदा संयुक्त खातेदारी की स्थित रही है। मीठालाल फोत होने पर पटवारी हल्का द्वारा जेर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मीठालाल के विधिक वारिशान की कोई समुचित जांच नही की तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम जैर अपील नामान्तरकरण दायर कर दिया, जबकि मीठालाल के विधिक वारिशान में अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार बाली द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जेर अपील नामान्तरकरण खातेदार मीठु पुत्र संग्राम के फोत होने से उनके उत्तराधिकारीयों अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया है, जो तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा दिनांक 12.05.2009 को स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 को मीठालाल के पुत्र–पुत्रीयां होना बताते हुए मीठलाला की सम्पति में अपना हिस्सा होना जाहिर किया तथा जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त कर राजस्व रेकर्ड में चेनाराम के विधिक वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 का नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत बासौर द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2019 से होती है, जिसें मीठु उर्फ मीठुलाल के वारिशान में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पुत्र–पुत्रियां होना अंकित किया हैं। इससे यह पुष्टि होती है कि जैर अपील नामान्तरकरण मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दायर किया गया है, जबकि मृतक मीठु उर्फ मीठालाल के वारिशान में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम भी दर्ज किया जाना था, जो नहीं किया गया हैं। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम बाणियामाली के नामान्तरकरण संख्या 190 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 12.05.2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक मीठु पुत्र संग्राम के समस्त विधिक वारिशान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को तहरीर के साथ वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली